रजिस्ट्री सं. डी.—(डी. एन.)—73

REGISTERED NO. D(DN)—73

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 22] नई दिल्ली, शनिवार, मई 31, 1986 (ज्येष्ठ 10, 1908)

No. 22] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 31, 1986 (JYAISTHA 10, 1908)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	401
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . .	607
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गये संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं .	—
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . . .	863
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम .	*
भाग II—खण्ड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ . .	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं) . . .	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा किए गए सांविधिक नियम और आदेश . . .	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं . .	19469
भाग III—खण्ड 2—पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	371
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं . .	—
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं आदेश विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	975
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस . .	87
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक . . .	*

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court ..	401
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	607
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	863
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, by-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by general Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	19469
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	371
PART III—SECTION 3—Notification issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	975
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	87
PART V—Supplement showing Statistics of Birth and Deaths etc. both in English and Hindi ..	*

*Folio Nos Not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 मई 1986

सं० ए–11019/2/86-प्रशा०–I—इस सचिवालय के 27 फरवरी, 1986 के समसंख्यक संकल्प, जिसके द्वारा महासागर विज्ञान और प्रौद्योगिकी बोर्ड का गठन किया गया था के संदर्भ में।

2. सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय भी महासागर विज्ञान और प्रौद्योगिकी बोर्ड के सदस्य होंगे।

अनिल कुमार, संयुक्त सचिव,

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 मई 1986

आदेश

विषय :—ओ० एन० जी० सी० (ओ०ओ०पी०) को एस–2 संरचना में 12113.6 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस की स्वीकृति।

सं० ओ–12012/8/86—ओ० एन० जी० डी II/I—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 5 के उपनियम (1) की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा ओ० एन० जी० सी०, तेल भवन देहरादून (इसके बाद इसको आयोग कहा जायेगा) को एस–2 संरचना (अपतट) में 12113.6 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पेट्रोलियम मिलने की संभावना हेतु एक पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस इस पी० ई० एल० के जारी होने की तिथि से 4 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृति देती है।

इसके विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची "क" में दिये गये हैं। लाइसेंस की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर हैं :—

(क) अन्वेषण लाइसेंस पेट्रोलियम के संबंध में होगा।

(ख) यदि अन्वेषण कार्य के दौरान कोई खनिज पदार्थ पाये गये तो आयोग पूर्ण ब्यौरे के साथ उसकी सूचना केन्द्रीय सरकार को देगा।

(ग) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) निम्नलिखित दरों पर ली जायगी।

(I) समस्त अशोधित तेल तथा केसिंग हैड कंडेन्सेट पर 61 रुपये प्रति मी० टन या ऐसी दर जो समय समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी।

(II) प्राकृतिक गैस के संबंध में ये दर केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दर के अनुसार होंगी।

(III) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) की अदायगी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय नई दिल्ली के तथा लेखा अधिकारी को दी जायेगी।

(घ) आयोग लाइसेंस के अनुसरण में प्रत्येक माह के प्रथम 30 दिनों में गत माह से प्राप्त समस्त अशोधित तेल की मात्रा, केसिंग हैड कंडेन्सेट और प्राकृतिक गैस की मात्रा तथा उसका कुल उचित मूल्य दर्शाने वाला एक पूर्ण तथा उचित विवरण केन्द्रीय सरकार को भेजेगा। यह विवरण संलग्न अनुसूची "ख" में दिये गये प्रपत्र में भरकर देना होगा।

(ङ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 11 की आवश्यकता के अनुसार आयोग 6000 रुपये की धनराशि प्रतिभूति के रूप में जमा करेगा।

(च) आयोग प्रतिवर्ष लाइसेंस के संबंध में एक शुल्क के संबंध में एक शुल्क का भुगतान करेगा जिसकी संगणना प्रत्येक वर्ग किलोमीटर या उसके किसी अंश जिसका लाइसेंस में उल्लेख किया गया हो, निम्नलिखित दरों पर की जायेगी।

1. लाइसेंस के प्रथम वर्ष के लिए	4 रुपए
2. लाइसेंस के द्वितीय वर्ष के लिए	20 रुपए
3. लाइसेंस के तृतीय वर्ष के लिए	100 रुपए
4. लाइसेंस के चतुर्थ वर्ष के लिए	200 रुपए
5. लाइसेंस के नवीनीकरण के प्रथम और द्वितीय वर्ष के लिए	300 रुपये।

(छ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 11 के उपनियम (3) की आवश्यकतानुसार को अन्वेषण/लाइसेंस के किसी क्षेत्र के किसी भाग को छोड़ देने की स्वतंत्रता सरकार को दो माह के नोटिस के बाद होगी।

(ज) केन्द्रीय सरकार की मांग पर उसको तत्काल तेल तथा प्राकृतिक गैस अन्वेषण के अन्तर्गत पाये गये समस्त खनिज पदार्थों के संबंध में भूवैज्ञानिक आंकड़ों के बारे में एक पूर्ण रिपोर्ट गुप्त रूप से देगा तथा हर छः महीने में निश्चित रूप से केन्द्रीय सरकार को समस्त परिचालनों व्यधन तथा अन्वेषण कार्यों के परिणामों के बारे में सूचना देगा।

(झ) आयोग समुद्र की तलहटी और/या उसके धरातल पर आग लगने संबंधी निवारक उपायों की व्यवस्था करेगा तथा आग बुझाने हेतु हर समय के लिए ऐसे उपकरण, सामान तथा साधन बनाये रखेगा और तीसरी पार्टी और/या सरकार को उतना मुआवजा देगा जितना कि आग लगने से हुई हानि के बारे में निर्धारित किया जायेगा।

(ञ) इस अन्वेषण लाइसेंस पर तेल क्षेत्र (नियंत्रण और विकास) अधिनियम 1948 (1948 का 53) और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के उपबंध लागू होंगे।

(ट) पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के बारे में आयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित एक जैसा दस्तावेज भर कर देगा जो अपतटीय क्षेत्रों के लिए व्यवहार्य होगा।

(ठ) आयोग द्वारा खुदाई/अन्वेषी आपरेशनों/सर्वेक्षणों के दौरान एकत्र किये गये बाथीमिट्रिक सतही नमूने, धारा और भूम्–

कीय आंकड़े सामान्य रूप से रक्षा मंत्रालय नौसेना मुख्यालय को प्रस्तुत करने चाहिये।

(ड) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग समुद्री विज्ञान आंकड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

(ढ) सम्पूर्ण आंकड़े भारत में संकलित किये जाते हैं।

(ण) इस क्षेत्र में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा एकत्र किये गये आंकड़ों की प्रतियां रक्षा मंत्रालय/मुख्य हाइड्रोग्राफर को निशुल्क उपलब्ध करायी जाती हैं।

(त) अगर विदेशी जलपोत लगाये जाते हैं तो उनका नौसेना सुरक्षा निरीक्षण उनके लगाये जाने से पूर्व किया जाना होता है। भारत में ऐसे जलपोतों के आने के बारे में पर्याप्त नोटिस दिया जाना चाहिए जिससे निरीक्षण दल की प्रतिनियुक्ति हो सके।

(थ) भावी संचालनात्मक योजना बनाने की सुविधा के लिए सर्वेक्षण आरम्भ करने/समाप्त करने की तिथि बताई जाए।

(द) सभी आंकड़े भारत में संसाधित किए जाएंगे।

अनुसूची—ए

एम-2 संरचना क्षेत्र (अपतट) के संबंध में तकनीकी आंकड़े

1. संरचना — एम-2

2. पी०ई०एल० क्षेत्र — 12113.6 वर्ग किलोमीटर

3. जियोफिजिकल कोर्डिनेट्स

पाइंट—ए	देशान्तर	70°	00′	00″
	अक्षान्तर	21	16	50
पाइंट—बी	देशान्तर	71	30	00
	अक्षान्तर	20	55	00
पाइंट—सी	देशान्तर	71	30	00
	अक्षान्तर	20	13	48
पाइंट—डी	देशान्तर	70	30	00
	अक्षान्तर	20	08	20
पाइंट—ई	देशान्तर	70	30	00
	अक्षान्तर	20	00	00
पाइंट—एफ	देशान्तर	70	00	00
	अक्षान्तर	20	00	00

4. भूमि पर मुख्य स्थानों से अनुमानित दूरी :—

पाइंट—डी से द्वीप — 52 किलोमीटर

पाइंट—सी से दमन — 138 किलोमीटर

पाइंट—ई से तारापुर — 222 किलोमीटर

5. जल की गहराई : 80 मीटर

अनुसूची—ख

प्रशोधित तेल, केसिंग कन्डेन्सेट तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन तथा उसके मूल्य सहित मासिक विवरण के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस

क्षेत्रफल : वर्ग किलो मीटर

माह तथा वर्ष

क—प्रशोधित तेल

कुल प्राप्त किलोलीटरों की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये मी० टनों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किए गए मी० टनों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त मी० टनों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ख—केसिंग हैड कन्डेन्सेट

प्राप्त किए गए कुल मी० टनों की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाए किलो मी० टनों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किए गए मी० टनों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त मी० टनों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ग—प्राकृतिक गैस

कुल प्राप्त घन मीटरों की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाए गए घन मीटरों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किए गए घन मीटरों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त घन मीटरों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

एतद्द्वारा मैं, श्री————————————————सत्य निष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता हूं कि इस विवरण में दी गई सूचना पूर्ण रूपेण सत्य और सही है, उसे सही समझते हुए मैं शुद्ध अन्तःकरण से सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूं।

हस्ताक्षर————————

भारत के राष्ट्रपति के नाम और उनके आदेश से।

पी० के० राजगोपालन, डेस्क अधिकारी

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 अप्रैल 1986

संकल्प

सं० ई-11011/4/85-हिन्दी—भारत सरकार ने वस्त्र मंत्रालय के लिए हिन्दी सलाहकार समिति गठित करने का निश्चय किया है। इस समिति का गठन, कार्य आदि निम्नोक्त प्रकार होंगे :—

1. वस्त्र मंत्री	अध्यक्ष
संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य	
2. श्रीमती केसरबाई क्षीरसागर, संसद सदस्य (लोक सभा)	सदस्य
3. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव, संसद सदस्य (राज्य सभा)	सदस्य
4. चौधरी राम प्रकाश, संसद सदस्य (लोक सभा)।	सदस्य
5. श्री राम रतन राम, संसद सदस्य (लोक सभा)।	सदस्य
6. श्री घनश्याम सिंह, संसद सदस्य (राज्य सभा)।	सदस्य
7. श्री गुरु दास गुप्ता, संसद सदस्य (राज्य सभा)।	सदस्य
अन्य गैर सरकारी सदस्य हिन्दी विद्वान	
8. श्री गिरीश गांधी, नागपुर, महाराष्ट्र	सदस्य
9. श्री गुरु कमलाकर, जयपुर, राजस्थान	सदस्य
10. श्री इन्द्र देव, रायपुर, मध्य प्रदेश	सदस्य
अधिकारीगण (राजभाषा विभाग)	
11. सचिव (राजभाषा विभाग) एवं भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार	सदस्य
12. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग	सदस्य
अधिकारीगण (वस्त्र मंत्रालय)	
13. सचिव (वस्त्र)	सदस्य
14. विकास आयुक्त (हथकरघा), नई दिल्ली	सदस्य
15. विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), नई दिल्ली	सदस्य
16. वस्त्र आयुक्त, बम्बई	सदस्य
17. पटसन आयुक्त, कलकत्ता	सदस्य
18. प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय वस्त्र निगम, नई दिल्ली	सदस्य
19. प्रबंध निदेशक, ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन, कानपुर	सदस्य
20. सचिव, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलौर	सदस्य
21. प्रबंध निदेशक, भारतीय रुई निगम, बम्बई	सदस्य
22. प्रबंध निदेशक, हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम, नई दिल्ली	सदस्य
23. प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम, नई दिल्ली।	सदस्य
24. प्रबंध निदेशक, भारतीय पटसन निगम, कलकत्ता	सदस्य
25. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम, कलकत्ता	सदस्य
26. प्रबंध निदेशक, उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम, शिलांग	सदस्य
27. प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम, लखनऊ	सदस्य
28. संयुक्त सचिव (वस्त्र मंत्रालय)	सदस्य-सचिव

2. कार्य

इस समिति का कार्य सरकारी कार्यों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से सम्बन्धित मामलों में मंत्रालय को सलाह देना होगा।

3. कार्य-अवधि

समिति का कार्य-काल, निम्नलिखित व्यवस्था के साथ उसके गठन की तारीख से तीन वर्ष का होगा :

1. समिति में नामजद संसद सदस्य जैसे ही संसद सदस्य नहीं रहेंगे तभी वे इस समिति के सदस्य भी नहीं रहेंगे।

2. अवधि के बीच में रिक्त हुआ स्थान, सम्बन्धित सदस्य के स्थान पर उसके पद पर आने वाले अधिकारी से भरा जाएगा, और यह अधिकारी तीन वर्ष की अवधि के बकाया काल के लिए सदस्य होगा।

4. विविध

1. समिति आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सदस्यों को सहयोजित कर सकेगी और अपनी बैठकों में भाग लेने के लिए विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकेगी अथवा उप-समितियाँ नियुक्त कर सकेगी।

2. समिति का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में होगा लेकिन समिति अपनी बैठकें किसी अन्य नगर में भी कर सकती है।

5. यात्रा व अन्य भत्ता

समिति और इस समिति की उप-समितियों की बैठकों में उपस्थित होने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों को भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर यात्रा और दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसद कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक, केन्द्रीय राजस्व के महालेखाकार और भारत सरकार के सभी मंत्रालय तथा विभागों को भेजी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

चरण दास बीमा, संयुक्त सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 मार्च 1986

सं० 13011/2/83-ऋण-2—खरीफ 1985 मौसम से देश में व्यापक फसल बीमा योजना (1985) को कार्यान्वित करने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए निर्णय के अनुसरण में इस प्रयोजन के लिए एक केन्द्रीय फसल बीमा निधि स्थापित करने का निर्णय किया गया है। केन्द्रीय सरकार (कृषि और सहकारिता विभाग) द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार निधि का संचालन केन्द्रीय सरकार की ओर से भारतीय साधारण बीमा निगम द्वारा किया जाएगा।

निधि के मुख्य कार्य निम्नलिखित होंगे :—

(क) वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से फसल बीमा प्रीमियम प्राप्त करना और प्रीमियम के राजसहायता के अंश को केन्द्रीय और राज्य सरकारों से प्राप्त करना तथा पालिसियां जारी करना।

(ख) दावों की संवीक्षा करना और उनका निपटान करना।

(ग) समस्त लेन-देन का उचित लेखा रखना तथा निर्धारित समयान्तराल में केन्द्रीय और राज्य सरकारों को लेखा प्रस्तुत करना।

(घ) केन्द्रीय सरकार के अनुदेशों के अनुसार उपलब्ध निधि को सम्भालना तथा कार्यों पर लगाना और यथा निर्देशित तरीके से आय का इस्तेमाल करना।

(च) राज्य निधियों को समग्र रूप से तकनीकी मार्गदर्शन देना।

(छ) व्यापक फसल बीमा योजना से सुसंगत सांख्यिकीय आंकड़े एकत्र करना और उनका विश्लेषण करना।

(ज) राज्य सरकारों को आवश्यक विपणन और प्रचार प्रयासों के लिए किए जाने वाले कार्यों में उनके साथ सहयोग करना और उन्हें तकनीकी सहायता देना और जहां कहीं भी सम्भव हो फसल बीमा को कृषि विस्तार कार्यक्रमों के साथ भी जोड़ना।

निधि के संचालन के प्रयोजन के लिए भारतीय सामान्य बीमा निगम निम्नलिखित आदेशों का पालन करेगा और उसे निम्नलिखित प्राधिकार होंगे :—

1. बीमा के लिए घोषणाएं स्वीकार करना और समय-समय पर यथा संशोधित व्यापक फसल बीमा योजना के उपबन्धों के अनुसार बीमा के प्रमाण-पत्र जारी करना। सामान्य बीमा निगम ऐसे कारोबार के सम्बन्ध में आवश्यक रिकार्ड और लेखा में रखेगा।

2. फसल बीमा के सम्बन्ध में बैंकों या अन्य वित्तीय संस्थाओं से प्रीमियम या अन्य प्रभारों के रूप में निधि एकत्र करना और समय-समय पर सरकार द्वारा किये गये अनुदेशों के अनुसार धन को निक्षेप में रखना या पूंजी निवेश में लगाना। पूंजी निवेश के फलस्वरूप कोई भी आय योजना के अधीन फसल बीमा व्यापार में किये गये कारोबार की आय के रूप में जमा होगी।

3. सामान्य बीमा प्रणालियों के अनुसार दावों की अधिसूचना प्राप्त करना दावों पर कार्रवाई करना और उन्हें निपटाना।

4. राज्य फसल बीमा निधियों को बीमा योजना में उनके शेयर के सम्बन्ध में लेखों का विवरण देना और उन्हें शेष देय का भुगतान करना या वसूलियां प्राप्त करना जो ऐसे व्यापार के सम्बन्ध में देय हों।

5. केन्द्रीय सरकार की केन्द्रीय फसल बीमा निधि के सम्बन्ध में यथा निर्धारित और यथा लेखा परीक्षित लेखा देना और रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

6. योजना के संचालन के लिए व्यय करना और ऐसे व्यय का 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार से वसूल करना। शेष 50 प्रतिशत जैसा भी मामला हो निगम या उसकी सब्सिडियों के प्रबंध पर व्यय समझा जाना चाहिए और इसे सामान्य बीमा निगम के लाभ व हानि लेखा में लाभ पर प्रभार के रूप में नामे डाला जाना चाहिए।

7. यदि फसल बीमा योजना में केन्द्रीय सरकार के शेयर से सम्बन्धी निवल राशि से किये जाने वाले दावों का भुगतान अधिक हो गया हो तो केन्द्रीय सरकार आवेदन के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर सामान्य बीमा निगम को ऐसे दावों के भुगतान के लिए अपेक्षित राशि तत्काल देगी।

8. सभी आवश्यक कार्रवाईयां करना और फसल बीमा योजना के प्रचालन के सम्बन्ध में सभी कानूनी कार्रवाईयों के लिए दावा करना या उनका प्रतिवाद करना।

9. कुल मिलाकर सभी ऐसी कार्रवाईयां करना जो फसल बीमा योजना के कुशल कार्य संचालन के लिए आवश्यक हैं।

10. उपर्युक्त अनुदेश और प्राधिकार तब तक लागू रहेंगे जब तक इनमें संशोधन अथवा अनुवर्ती पत्रों द्वारा इनकी अवधि को बढ़ाया नहीं जाता।

के० आर० नायर, संयुक्त सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 21 अप्रैल 1986

संकल्प

सं० ई०-11011/4/85-समन्वय (हिंदी)—भारत सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के लिए एक हिंदी सलाहकार समिति का गठन करने का निर्णय किया है। इस समिति का गठन, कार्य आदि निम्नलिखित होंगे :—

गठन :

मानव संसाधन विकास मंत्री	अध्यक्ष
शिक्षा और संस्कृति राज्य मंत्री	उपाध्यक्ष
युवा कार्य और खेल तथा महिला कल्याण राज्य मंत्री	उपाध्यक्ष

लोक सभा से दो संसद सदस्य

1. श्री वृद्धि चन्द जैन, संसद सदस्य	सदस्य
2. श्रीमती शीला दीक्षित, संसद सदस्य	सदस्य

राज्य सभा से दो संसद सदस्य

3. श्री एस० डब्ल्यू० धाबे, संसद सदस्य	सदस्य
4. श्री एम०पी० कौशिक, संसद सदस्य	सदस्य

संसदीय राजभाषा समिति से दो संसद सदस्य

5. डा० रुद्र प्रताप सिंह, संसद सदस्य	सदस्य
6. श्री सुधाकर पांडेय, संसद सदस्य	सदस्य

गैर-सरकारी सदस्य

स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं के प्रतिनिधि, विद्वान आदि

7. प्राध्यापक मधुप पाण्डेय,
11, देवतले निवास,
अंबाझरी उद्यान के पास,
नागपुर-440010

8. श्री जेठालाल जोशी,
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति
अहमदाबाद

9. श्री मोहन कुमार भगत,
संपादक, गौरव गरिमा,
इतवारी, नागपुर

10. डा० एम० राजेश्वरैया,
प्रोफेसर, मैसूर विश्वविद्यालय,
मैसूर

11. श्री आंजनेय शर्मा,
कुल सचिव, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा,
खैरताबाद, हैदराबाद

सरकारी सदस्य

(राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि)

12. सचिव, राजभाषा विभाग — सदस्य
13. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग — सदस्य

(शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि)

14. शिक्षा सचिव — सदस्य
15. विशेष सचिव — सदस्य
16. अपर सचिव — सदस्य
17. शिक्षा सलाहकार (तकनीकी) — सदस्य
18. संयुक्त सचिव और वित्त सलाहकार — सदस्य
19. संयुक्त शिक्षा सलाहकार (सं० और भा०) — सदस्य

(संस्कृति विभाग के प्रतिनिधि)

20. सचिव — सदस्य
21. संयुक्त सचिव — सदस्य
22. उप सचिव (प्रशासन) — सदस्य
23. लेखा नियंत्रक — सदस्य

(कला विभाग के प्रतिनिधि)

24. सचिव — सदस्य
25. निदेशक — सदस्य

(युवा कार्य और खेल विभाग के प्रतिनिधि)

26. सचिव — सदस्य
27. संयुक्त सचिव — सदस्य
28. निदेशक — सदस्य

(महिला कल्याण विभाग के प्रतिनिधि)

29. सचिव — सदस्य
30. संयुक्त सचिव — सदस्य

(सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के प्रतिनिधि)

31. अध्यक्ष, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग — सदस्य
32. निदेशक, केन्द्रीय हिंदी निदेशालय — सदस्य
33. निदेशक, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर — सदस्य
34. निदेशक, केन्द्रीय हिंदी शिक्षण मंडल, आगरा — सदस्य
35. अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग — सदस्य
36. आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन — सदस्य
37. निदेशक, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर — सदस्य
38. महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण — सदस्य
39. महानिदेशक, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण — सदस्य
40. निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार — सदस्य
41. सचिव, साहित्य अकादमी — सदस्य
42. निदेशक, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला — सदस्य
43. भारतीय खेल प्राधिकरण का एक प्रतिनिधि — सदस्य
44. निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् — सदस्य
45. निदेशक (रा० भा०) — सदस्य-सचिव

II. समिति के कार्य :

यह समिति सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग से संबंधित मामलों तथा सहायक और प्रासंगिक मामलों पर इस मंत्रालय/विभाग और इसके सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों को सलाह देगी।

समिति सहयोजित सदस्यों के रूप में अतिरिक्त सदस्य नामजद कर सकेगी और बैठकों में भाग लेने के लिए आवश्यकतानुसार विशेषज्ञों को भी आमंत्रित कर सकेगी।

III. समिति का कार्यकाल :

समिति का कार्यकाल सामान्यतः इसके गठन की तारीख से 3 वर्ष होगा, बशर्ते कि :

(क) समिति के नामजद संसद-सदस्य की सदस्यता उनके संसद-सदस्य न रहने पर समाप्त हो जाएगी।

(ख) समिति के पदेन सदस्य उस समय तक सदस्य रहेंगे जब तक वे उस पद पर रहते हैं, जिसके नाते वे इस समिति के सदस्य हैं।

(ग) किसी सदस्य के त्याग-पत्र, मृत्यु इत्यादि से कोई स्थान रिक्त हो जाता है तो उस रिक्ति पर नियुक्त सदस्य 3 वर्ष के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए सदस्य रहेगा।

IV. यात्रा तथा अन्य भत्ते :

समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों को यात्रा और दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

V. मुख्यालय

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति समिति के सभी सदस्यों, सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि आम जानकारी के लिए यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

किरीट जोशी, विशेष सचिव

CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 2nd May 1986

No. A-11019/2/86-Ad.I.—Reference this Secretariat's Resolution of even No. dated 27th February, 1986, constituting the Ocean Science and Technology Board.

2. Secretary, Ministry of Environment and Forests, Shall also be Member of the Ocean Science and Technology Board.

ANIL KUMAR, Jt. Secy. to the Cabinet

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 12th May 1986

ORDER

SUBJECT : Grant of Petroleum Exploration Licence for S-2 structure measuring 12113.6 sq. kms ONGC (BOP).

No. O-12012/8/86-ONGD4.—In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-rule (1) of rule 5 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby grants to the Oil & Natural Gas Commission Tel Bhavan, Dehradun (hereinafter referred to as Commission) a Petroleum Exploration Licence to Prospect for Petroleum for four years from the date of issue of this PEL for S-2 structure area measuring 12113.6 sq. kms (offshore) the particulars of which are given in Schedule 'A' annexed hereto.

The Grant of Licence is subject to the terms and conditions mentioned below.

(a) The Exploration Licence should be in respect of Petroleum.

(b) If any minerals are found during the exploration work, the commission should bring that to the notice of the Central Government with full particulars thereof.

(c) Royalty at the rates mentioned below shall be charged.

(i) Rs. 61/- per metric tonne or such rates as may be fixed by the Central Government from time to time on all crude oil and casing head condensate.

(ii) In case of natural gas, at such rates as may be fixed by the Central Government from time to time.

The royalty shall be paid to the Pay & Accounts officer, Ministry of Petroleum and Natural Gas.

(d) The Commission shall, within the first 30 days of every month, furnish to the Central Government, a full proper return showing the quantity and gross value of all crude oil, casing head condensate and natural gas obtained during the preceding month in pursuance of the licence. The return shall be in the form given in Schedule 'B' annexed hereto.

(e) The Commission shall deposit a sum of Rs. 96912/- as security as required by rule 11 of the PNG Rules, 1959.

(f) The Commission shall pay every year in advance a fee in respect of the licence calculated at the following rates for each square kilometer or part thereof covered by the licence.

(i) Rs. 4/- for the first year of the licence;

(ii) Rs. 20/- for the second year of the licence;

(iii) Rs. 100/- for the third year of the licence;

(iv) Rs. 200/- for the fourth year of the licence;

(v) Rs. 300/- for the first and second year of renewal.

(g) The Commission shall be at liberty to determine the relinquishing of any part of the area covered by the exploration licence by giving not less than two months notice in writing to the Central Government as required by sub-rule (3) of the rule 11 of the Petroleum & Natural Gas Rules, 1959.

(h) The Commission shall immediately on demand submit to Central Government confidentially a full report of the geological data of all the minerals found during the exploration of oil and natural gas and shall submit without fail every six months the results of all operations, boring and exploration to the Central Government.

(i) The Commission shall take preventive measures against the hazard of fire under sea bed and/or on the surface and shall keep such equipment, supplies and means to extinguish the fire at all times and shall pay such compensation to third party and/or Government as may be determined in case of damage due to the fire.

(j) This exploration licence shall be subject to the provisions of the Oil Fields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948) and the Petroleum and Natural Gas Rules 1959.

(k) The Commission shall execute a deed of the Petroleum Exploration Licence in the form applicable to offshore areas as approved by the Central Government.

(l) The Commission should render, Bathymetric, bottom samples. Current and magnetic data collected during the drilling/exploration operations/survey, to Ministry of Defence Naval Headquarters in the usual manner.

(m) The entire data is processed in India.

(n) Copies of the data collected by ONGC in this area is made available *free of cost to* Ministry of Defence/Chief Hydro.

(o) Foreign Vessels if deployed for survey, are to undergo naval security inspections by a team of Indian Navy Specialists officers prior to deployment. Adequate notice about the arrival of such vessel in India is to be given to facilitate deputation of the Inspection team.

(p) The date of commencement/cessation of survey be intimated to facilitate future operational planning.

(q) The entire data is processed in India.

Schedule 'A ,

Technical data in respect of S-2 Structure area (Offshore)

1 Structure S-2
2. PEL area 12113·6 sq. ms.
3. Geographical coordinates

Point A	Long.	70°	00′	00″
	Lat.	21°	16′	40″
Point B	Long.	71°	30′	00″
	Lat.	20°	55′	00″
Point C	Long.	71°	30′	00″
	Lat.	20°	13′	48″
Point D	Long.	70°	30′	00″
	Lat	20°	08′	20″
Point E	Long.	70°	30′	00″
	Lat.	20°	00′	00″
Point F	Loog	70°	00′	00″
	Lat.	20°	00′	00″

4. Approximate distances from the prominent places on land:—

Diu from Point B—52 kms.
Daman from Point C—138 kms.
Tarapur from Point E—222 kms.

5. Water depth—80 mts.

SCHEDULE 'B'

Monthly return of crude oil, casing-head condensate and natural gas produced and value thereof

Petroleum Exploration Licence for
Area
Month and Year

A. Crude Oil

Total No. of Metric Tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purpose of petroleum exploration operation approved by the Central Government	No. of Metric tonnes obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

B. Casing head condensate

Total number of Metric Tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purposes of petroleum exploration approved by Central Govt.	No. of Metric Tonnes obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

C. Natural Gas

Total number of cubic metres obtained	Number of cubic metres unavoidably lost or returned to natural reservoir	Number of cubic metres used for purposes of petroleum exploration approved by the Central Government	Number of cubic metres obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

I, Shri————————————do hereby solemnly and sincerely declare and affirm that the information in this return is true and correct in every particular and make this solemn declaration conscientiously believing the same to be true.

(Signature)

By order in the name of the President of India.

P. K. RAJAGOPALAN, Desk Officer

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 28th April 1986

RESOLUTION

No. E-11011/4/85-Hindi.—The Government of India has decided to constitute Hindi Salahakar Samiti for the Ministry of Textiles. Its composition, functions etc. will be as given hereunder :—

Chairman

1. Minister of Textiles
Members of the Committee of Parliament on Official Language.

Members

2. Shrimati Kesarbai Kshirsagar, Member of Parliament (Lok Sabha).
3. Shri Jagdambi Prasad Yadav, Member of Parliament (Rajya Sabha).
4. Choudhary Ram Prakash, Member of Parliament (Lok Sabha).
5. Shri Ram Rattan Ram, Member of Parliament (Lok Sabha).
6. Shri Ghan Shyam Singh, Member of Parliament (Rajya Sabha).
7. Shri Guru Das Gupta, Member of Parliament (Rajya Sabha).

Other Non-official Members—Hindi Scholars.

8. Shri Girish Gandhi, Nagpur, Maharashtra.
9. Shri Guru Kamalakar, Jaipur, Rajasthan.
10. Shri Inder Dev, Raipur, Madhya Pradesh.

Officials (Department of official Language)

11. Secretary, (Department of Official Language) and Hindi Adviser to the Government of India.
12. Joint Secretary, *(Ministry of Textiles)*
13. Secretary (Textiles)
14. Development Commissioner (Handlooms), New Delhi.
15. Development Commissioner (Handicrafts), New Delhi.
16. Textiles Commissioner, Bombay.
17. Jute Commissioner Calcutta.
18. Managing Director, N.T.C., New Delhi.
19. Managing Director, British India Corporation, Kanpur.
20. Secretary, Central Silk Board, Bangalore.
21. Managing Director, Cotton Corporation of India, Bombay.
22. Managing Director, Handicrafts and Handloom Export Corporation, New Delhi.
23. Managing Director, Central Cottage Industries Corporation, New Delhi.
24. Managing Director, Jute Corporation of India Ltd., Calcutta.
25. Chairman-cum-Managing Director, National Jute Manufacturers Corporation, Calcutta.
26. Managing Director North Eastern Handicrafts and Handlooms Development Corporation, Shillong.
27. Managing Director, National Handloom Development Corporation, Lucknow.
28. Joint Secretary, Ministry of Textiles.

Member-Secretary

2. *Functions*

The functions of the Samiti will be to advise the Ministry on matters relating to the progressive use of Hindi for official purposes.

3. *Tenure*

The term of the Samiti will be three years from the date of formation provided that,

(1) a Member of Parliament nominated to the Samiti shall cease to be a member of the Samiti as soon as he ceases to be a Member of Parliament.

(2) Any mid-term vacancy shall be filled up by the concerned member's successor in office, who shall be a Member for the residue of the term of three years.

4. *General*

(1) The Committee may coopt additional members and invite experts to attend its meeting or appoint sub-committee as may be deemed necessary.

(2) Headquarters of the Samiti will be at New Delhi but it may hold its meetings at any other station also.

5. *Travelling and other Allowances*

The non-official members will be paid travelling and daily allowances for attending the meetings of the Samiti and the Sub-committee of the Samiti at the rates fixed by the Government of India from time to time.

ORDER

ORDERED that a copy of this resolution be communicated to all State Governments and Union Territory Administrations, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, President's Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, A.G.C.R., and all Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

C.D. CHEEMA Jt. Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE
DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION

New Delhi, the 18th March 1986

No. 13011/2/83-Credit-II.—In pursuance of the decision taken by the Government of India to implement the Comprehensive Crop Insurance Scheme (1985) in the country from Kharif 1985 season, it has been decided to constitute a Central Group Insurance Fund for the purpose. The Fund will be administered by the General Insurance Corporation

of India on behalf of the Central Government in accordance with the instructions issued by the Central Government (Department of Agriculture and Cooperation) from time to time.

The main functions of the Fund will be as under :

(a) To receive crop insurance premia through the financial institutions and the subsidy portion of premia from the Central and State Governments, and issue policies.

(b) To scrutinise and settle claims.

(c) To maintain proper accounts of all transactions and render accounts at specified intervals to Central and State Governments.

(d) To hold and invest the available funds in such manner as instructed by the Central Government and to deal with the income as instructed.

(e) To give overall technical guidance to State Funds.

(f) To collect and analyse Statistical Data relevant to the Comprehensive Group Insurance Scheme.

(g) To cooperate with and to render technical assistance to State Governments in their efforts to put in the necessary marketing and publicity efforts and also to link crop insurance with agricultural extension programmes wherever possible.

For the purpose of administration of the Fund the General Insurance Corporation of India (GIC) will follow the following instructions and will have the following authority :—

1. To accept declarations for insurance and issue certificates of insurance in accordance with the provisions of the Comprehensive Crop Insurance Scheme with whatever modifications may be made in the Scheme from time to time. The GIC should maintain necessary records and accounts in respect of such business.

2. To collect funds by way of premia or other charges from the banks or other financial institutions in respect of Crop Insurance and hold the money in deposit or in investments in accordance with instruction given by the Government from time to time. Any resulting investment income should be credited as income of the Crop Insurance business transacted under the scheme.

3. To receive notification of claims and to process and settle the claims in accordance with normal insurance underwriting practice.

4. To render accounts statements to the State Crop Insurance Funds in respect of their share in the insurance scheme and to pay them the balances due or make recoveries which may be due in respect of such business.

5. To render accounts and make such reports as may be prescribed, in respect of the Central Crop Insurance Fund, to the Central Government, duly audited.

6. To incur expenses for the administration of the Scheme and recover from the Central Government 50% of such expenses. The balance 50% should be treated as expenses of management of the Corporation or subsidiaries, as the case may be, to be debited in the Profit and Loss account as charge on the profit of the GIC.

7. Where the GIC is called upon to pay claims in excess of the net funds relating to the Central Government's share in the Crop Insurance Scheme in its hands then the Central Government will pay to the GIC immediately the funds required for payment of such claims on presentation of necessary documentation in support of the request.

8. To take all necessary action and to sue or to defend legal actions in relation to the operation of the Crop Insurance Scheme.

9. In general, to do all such things as are necessary for efficient discharge of its functions and to administer the Crop Insurance Scheme.

10. The above instructions and authority will be in force until modified or extended by subsequent letters.

K. R. NAIR, Jt. Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF EDUCATION)

New Delhi-110 001, the 21st April 1986

RESOLUTION

No. E-11011/4/85-CDN(HINDI).—The Government of India have decided to constitute a Hindi Salahkar Samiti for the Ministry of Human Resource Development. The composition, function, etc., of the Samiti will be as follows :

Composition:

Chairman

Minister for Human Resource Development

Vice-Chairmen

Minister of State for
Education and Culture.

Minister of State for Youth
Affairs and Sports and Woman Welfare

Members

Two MPs from Lok Sabha :

1. Shri Vridhi Chand Jain M.P.
2. Smt. Sheela Dixit, M.P.

Two Mps from Rajya Sabha :

3. Shri S. W. Dhabe, M.P.
4. Shri M. P. Kaushik, M.P.

Two MPs from Committe of Parliament on official Language :

5. Dr. Rudra Pratap Singh
6. Shri Sudhakar Pandey

Non Official Members

(Representatives of Voluntary Hindi Organisations, Scholars, etc.)

7. Prof. Madhup Pandey,
   11, Devtale Vinyas,
   Ambajhari Udyan Kepas,
   Nagpur-440 010.
8. Shri Jetha Lal Joshi,
   Rashtra Bhasha Prachar Samiti,
   Ahmedabad.
9. Shri Mohan Kumar Bhagat,
   Editor, Gaurav Garima,
   Itwari, Nagpur.
10. Dr. M. Rajeshwarayya,
    Professor, Mysore University,
    Mysore.
11. Shri Anjaneya Sharma,
    Registrar,
    Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha,
    Khairatabad Hyderabad.

Official Members

(Representatives of the Deptt. of Official Language).

Members

12. Secretary
    Deptt. of Official Language &
    Hindi Adviser to the Govt. of India
13. Joint Secretary,
    Deptt. of Official Language

(Representatives of the Deptt. of Education).

14. Education Secretary
15. Special Secretary
16. Additional Secretary
17. Educational Adviser
    (Technical).
18. Joint Secretary and
    Financial Adviser
19. Joint Educational Adviser
    (S & L).

Members—contd.

(*Representatives of the Deptt .of Culture*).

20. Secretary
21. Joint Secretary
22. Deputy Secretary (Adm.)
23. Controller of Accounts

(*Representative of the Deptt. of Art*)

24. Secretary
25. Director

(*Representatives of the Deptt. of Youth Affairs and Sports*).

26. Secretary
27. Joint Secretary
28. Director

(*Representatives of the Deptt. of Women Welfare*)

29. Secretary
30. Joint Secretary

(*Representative of the Attached/Subordinate Offices, etc.*)

31. Chairman, Commission for Scientific & Technical Terminology.
32. Director, Central Hindi Directorate.
33. Director, Central Institute of Indian Languages, Mysore.
34. Director, Kendriya Hindi Shikshan Mandal, Agra.
35. Chairman, University Grants Commission.
36. Commissioner Kendriya Vidyalaya Sangathan.
37. Director, Indian Institute of Science, Bangalore.
38. Director General, Archaeological Survey of India.
39. Director General, Anthropological Survey of India.
40. Director. National Archives of India.
41. Secretary, Sahitya Akademi.
42. Director, Netaji Subhash National Sports Institute, Patiala.
43. Representatives of Sports Authority of India.
44. Director, National Council of Educational Research & Training.

Member-Secy.

45. Director, (Official Language).

II. *Functions of the Samiti* :

This Samiti will advise the Ministry/Departments and its attached/subordinate offices on matters relating to the progressive use of Hindi for official purposes and matter ancillary and incidental to the above.

The Samiti may nominate additional members as coopted members and invite experts to attend its meetings as may be considered necessary.

III. *Tenure of the Samiti* :

The Tenure of the Samiti shall ordinarily be three years from the date of constitution provided that :—

(a) a member who is a Member of Parliament ceases to be a Member of the Samiti as soon as one ceases to be a Member of Parliament;

(b) ex-officio Members of the Samiti shall continue as Members as long as they held the office by virtue of which they are Member of the Samiti.

(c) if a vacancy arises on the Samiti due to resignation death etc., of a Member, the Member appointed on that vacancy shall hold office for the residual term of three years.

IV. *Travelling and other Allowances* :

The non-official members of the Samiti will be paid travelling and daily allowances for attending the meetings of Samiti.

V. *Headquarters* :

The Headquarters of the Samiti shall be at New Delhi.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all the Members of the Samiti, all State Governments and Union Territory Administrations, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs. Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, President's Secretariat, Planning Commission, Comptroller and Auditor General of India and all the Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

KIREET JOSHI, Special Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD, AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1986